

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारंकित प्रश्न संख्या 530
जिसका उत्तर मंगलवार 25 जून, 2019 को दिया जाएगा

अधिशेष दालों का भंडार

530. श्री जी.एम. सिद्धेश्वरा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह तथ्य है कि सरकारी एजेंसियां विगत वर्ष उल्लेखनीय उत्पादन के कारण दालों के अत्यधिक सरकारी भंडारण से परेशान हैं;
- (ख) यदि हां, तो दालों के भंडार की मात्रा कितनी है और इस अत्यधिक भंडारण से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार का दालों को राजसहायता प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अन्तर्गत लाने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और योजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री राम विलास पासवान)

(क) से (घ): दिनांक 15.06.2019 तक की स्थिति के अनुसार, निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा सरकार की ओर से धारित दालों की मात्रा लगभग 39.30 लाख मीट्रिक टन है जिसमें कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले और मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) द्वारा कार्यान्वित मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी.एस.एफ.) के अंतर्गत उपलब्ध दालों का स्टॉक भी शामिल है। कीमतों में उतार-चढ़ाव को सामान्य बनाने के लिए बफर स्टॉक से अंशांकित रिलीज किया जाता है। बफर से दालों का उपयोग सेना तथा अर्द्ध सैन्य बलों की आवश्यकता को पूरा करने तथा मध्याह्न भोजन स्कीम (एम.डी.एम.), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एम.) आदि जैसी कल्याण स्कीमों के लिए भी किया जाता है। सितम्बर, 2018 में सरकार ने वर्ष 2017-18 के खरीफ और रबी मौसम के दौरान मूल्य समर्थन स्कीम के तहत अधिप्राप्त दालों के स्टॉक की बिक्री के लिए मध्याह्न भोजन स्कीम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास सेवा आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत इस्तेमाल के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित करने के माध्यम से एक स्कीम शुरू की जिसमें 12 माह की अवधि के लिए या 34.88 लाख मीट्रिक टन का मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) दालों के स्टॉक के समाप्त होने तक (जो भी पहले हो) अंकित मूल्य पर एक मुश्त सहायता के रूप में 15/- रुपये प्रति किलोग्राम की केन्द्रीय राजसहायता दी गई।
